न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतार सिंह पूनियां (R.A.S.)

अपील संख्या 38/2023

1. चन्द्र मुखी पुत्री रूघाराम पत्नी लालचंद जाति जाट निवासी कनवानी हाल निवासी बिल्यू बास रामपुरा तहसील सरदारशहर जिला चुरू–राजस्थान
2. विधा पुत्री रूघाराम पत्नी रमेश जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर हाल निवासी बिल्यू बास रामपुरा तहसील सरदारशहर जिला चुरू–राजस्थान

–अपीलांट

बनाम

1. कालूराम पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
2. हसंराज पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
3. शिशपाल पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
4. गोमती पत्नी रूघाराम जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
5. चुनादेवी पुत्री रूघाराम पत्नी दयाराम जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर हाल निवासी चान्देड़ी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
6. पानी देवी पुत्री रूघाराम पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर हाल निवासी चोलखी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
7. चीका पुत्री रूघाराम पत्नी जैसराज जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर हाल निवासी बिल्यू बास रामपुरा तहसील सरदारशहर जिला चुरू–राज.
8. हेमा पुत्री रूघाराम पत्नी महावीर जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर हाल निवासी बिल्यू बास रामपुरा तहसील सरदारशहर जिला चुरू
9. निराणी पुत्री रूघाराम पत्नी मूलाराम जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतर हाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

10. विनोद पुत्र स्व. बादू पुत्री रूघाराम पत्नी भागीरथ जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर हाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
11. शारदा पुत्री स्व. बादू पुत्री रूघाराम जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर निवासी चान्देड़ी छोटी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
12. धापा पुत्री स्व. बादू पुत्री रूघाराम जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर हाल निवासी चान्देड़ी छोटी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
13. काली देवी पुत्री स्व. बादू पुत्री रूघाराम जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
14. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, रावतसर जिला हनुमानगढ़

–रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.08.2007
द्वारा उपखण्ड अधिकारी रावतसर प्र0 सं0 79/2007
अनवान हंसराज बनाम रूघाराम आदि

श्री विजय सिंह कड़वासरा अभिभाषक अपीलांट
श्री राजपाल झोरड़ अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 1
श्री मदनलाल शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 2, 3, 9 व 10
श्री राजेश कौशिक राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 26.07.23

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या–2 हसंराज ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अनवानी हसंराज बनाम रूघाराम अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर.टी. एक्ट के तहत चक 5 डी.डब्ल्यू.डी. में अपने दादा बिशनाराम पुत्र देवाराम के नाम से 49.13 बीघा भूमि होने व उक्त भूमि में से 24.10 बीघा भूमि अपने पिता रूघाराम पुत्र बिश्नाराम के नाम से दर्ज है। संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति होने के आधार पर अपने पिता रूघाराम के धारण की भूमि में 1/4 हिस्सा की घोषणा चाही व अपने पिता वृद्ध होने व अपना भला बुरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सोचने की क्षमता न होने के कारण भूमि को विक्रय करने पर आमादा होना व अपने 1/4 हिस्सा के कब्जाकाश्त में नाजायज दखलन्दाजी न करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा चाही। उक्त वाद दर्ज होने पर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। वाद के प्रतिवादी (रेस्पोडेंट सं. 1) कालूराम के विरूद्ध एवं एकपक्षीय कार्यवाही की गई व वाद के प्रतिवादी संख्या 1 रूघाराम ने वाद को अस्वीकार करके वाद खारिज करने का कथन किया। प्रतिवादी कालूराम (रेस्पोडेंट सं. 1) ने दिनांक 09.04.03 को आदेश 9 नियम 7 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो विचारण न्यायालय ने स्वीकार कर लिया, उसके पश्चात् रेस्पोडेंट सं. 1 रूघाराम ने दिनांक 5.10.2005 को जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया। काउण्टर क्लेम में प्रतिवादी कालूराम द्वारा स्व. रूघाराम द्वारा अपने हिस्सा की भूमि चक–12 बी.पी.एम.एस. में विक्रय करने का कथन किया। काउण्टर क्लेम में वाद खारिज करके काउण्टर क्लेम डिक्री करने का अनुतोष चाहा। वाद में दावा व जवाब दावा के आधार पर तनकियात कायम की जाकर साक्ष्य वाद में वादी हसंराज के ब्यान कवाये साक्ष्य प्रतिवादी कालूराम के ब्यान करवाये गये। विचारण न्यायालय में वादी हसंराज (रेस्पोडेंट सं. 2) द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 25.07.2006 को अदमहाजरी अदमपैरवी के खारिज कर दिया गया। विचारण न्यायालय में निर्णय व डिक्री दिनांक 06.08.2007 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 कालूराम (रेस्पोडेंट सं. 1) का काउण्टर क्लेम डिक्री करके चक 5 डी.डब्ल्यू.डी. की 6.199 हैक्टेयर भूमि का वादी हसंराज व प्रतिवादी सं. 2 कालूराम एवं प्रतिवादी सं. 3 शीशपाल को बहिस्सा बराबर व चक–3 डी.डब्ल्यू.एस.एम. की 6. 197 हैक्टेयर में वादी व प्रतिवादीगण 2 व 3 को बहिस्सा बराबर 1/7 हिस्सा का खातेदार घोषित किया व प्रतिवादी सं. 1 रूघाराम के विरूद्ध उपरोक्त भूमि को रहन बैय न करने एवं भूमि से बेदखल न करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा जारी की।

2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा काउण्टर क्लेम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.08.2007 के विरूद्ध अपीलांटा चन्द्रमुखी व विधा पुत्रीयां रूघाराम ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से प्रभावित पक्षकार होने के आधार पर धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके दिनांक 08.02.2023 को अपीलाधीन निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़.

व डिक्री के द्वारा काउण्टर क्लेम में पारित डिक्री को अपास्त करवाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई रेस्पोडेंट को तलब किया गया। रेस्पोडेंट सं. 1, 2, 3 व 9 एवं 10 की तरफ से उनके अभिभाषक उपस्थित आये। रेस्पोडेंट संख्या 14 की तरफ से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आया। अन्य रेस्पोडेंट सं. 4 ता 8 एवं 11 ता 13 बावजूद तामिल के उपस्थित नहीं आये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड संलग्न आने पर उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में आवश्यक पक्षकार थी, परन्तु उन्हें वाद में पक्षकार नहीं बनाया। मियाद के बिन्दू पर बहस में कथन किया कि निर्णय व डिक्री दि. 06.08.2007 नियम विरूद्ध है। अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये निर्णय पारित किया है, विधि विरूद्ध पारित निर्णय की कोई मियाद नहीं होती है। अपीलांटा को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम रेस्पोडेंट द्वारा बताने पर हुई, जब अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि में रेस्पोडेंट से अपना हिस्सा मांगा तो उन्होनें कहा कि वादग्रस्त भूमि डिक्री से अपने नाम करवा ली है, इस पर अपीलांट ने निर्णय व डिक्री का पता लगाया व रिकॉर्ड रूम नोहर में जाकर दिनांक 03.02.23 को नकल हेतु आवेदन किया व दिनांक 06.02.23 को नकल प्राप्त हुई एवं दिनांक 8.02.23 को बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत कर दी। इसलिये अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी माफ की जावे। धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति है, जिसमें अपीलान्टा का जन्म से हक व हिस्सा है। अपीलांटा को जान–बूझकर पक्षकार नहीं बनाया है, इसलिये अपीलांटा बतौर प्रभावित पक्षकार अपील प्रस्तुत करने की अधिकारी है। गुणावगुण की बहस पर अभिभाषक अपीलांट ने बहस पर कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है। अपीलांट स्व. रूघाराम की पुत्री है। इसलिये अपीलांट का वादग्रस्त भूमि में जन्म से हक व हिस्सा है। विचारण न्यायालय में स्व. रूघाराम के सभी वारिसान को पक्षकार बनाये बिना निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि विरूद्ध है इसलिये अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

व डिक्री अपास्त की जावे अभिभाषक अपीलांटा ने अपनी बहस के समर्थन में RRD 1998 पेज 319 RRD 1996 पेज 425 व RRD 1984 पेज 156 प्रस्तुत किये। रेस्पोडेंट सं. 2, 3, 9 एवं 10 के अभिभाषक ने अपीलांट की बहस का समर्थन करते हुए अपील स्वीकार करने का कथन किया।

5. अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 1 ने बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 06.08.2007 के विरूद्ध अपील दि. 8.2.2023 को 16 वर्ष से भी अधिक समय बाद में अपील पेश की है जो पूर्णतया मियाद बाहर है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम का रेस्पोडेंट सं. 1 ने जवाब व प्रतिउतर में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। अपील पूर्णतया मियाद बाहर है इसलिये सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर निर्णय किया जावे। मियाद के बिन्दू पर बहस में कथन किया कि निर्णय व डिक्री दिनांक : 08.02.2023 को 16 वर्ष बाद प्रस्तुत की है। निर्णय व डिक्री की जानकारी रेस्पोडेंट से होनी बताई है, परन्तु जानकारी रेस्पोडेंट से व कब हुई इस संबंध में कोई कथन नहीं किया है जबकि मियाद बाहर अपील में जानकारी के संबंध में स्पष्ट कथन व स्पष्टीकरण करना आज्ञात्मक है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट सं. 2 हसंराज द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया था व रेस्पोडेंट सं. 1 कालूराम द्वारा काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेंट सं. 2 का वाद खारिज किया था एवं रेस्पोडेंट सं. 1 कालूराम का काउण्टर क्लेम डिक्री किया है। दो आदेश के विरूद्ध एक अपील प्रस्तुत नहीं हो सकती, इसलिये गुणावगुण पर भी अपील खारिज योग्य है। अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में देरी का कोई स्पष्ट व उचित कारण भी अंकित नहीं किया है इसलिये अपील मियाद के बिन्दू पर ही खारिज की जावे। अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 1 ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त RRT 2006 (II) पृष्ठ 1092 व RBJ 2012 पृ. 113, RRD 1994 पृ. 276, RRD 1993 पृ. 872, DNJ 2013 पृ. 829 (SC), RRT 2014 (I) पृष्ठ 154, RRD 1991 पृष्ठ 180, RBJ 2019 पृष्ठ 20 RBJ 2020 पृष्ठ 221 प्रस्तुत करके अपील मियाद के बिन्दू पर खारिज करने का कथन किया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

6. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया दोनों पक्षों के अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मान पूर्वक अवलोकन किया अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपील की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांटा द्वारा उपरोक्त अपील निर्णय व डिक्री 06.08.2007 के विरूद्ध दिनांकः 08.02.2023 को लगभग 16 वर्ष बाद प्रस्तुत की है। अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 1 ने अपील में सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर निस्तारण करने के कथन किये है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील लगभग 16 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है, अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत RBJ 2012 पृ. 113 में राजस्व मण्डल ने एवं RRD 2094 पृ. 276, RRT 2006 (II) पृ. 1092 में माननीय राज. उच्च न्यायालय ने यह निर्धारण किया है कि अपील में मियाद के बिन्दू को निर्धारित किये बिना अपील सक्षम नहीं है इसलिये सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर निर्णय किया जाना उचित है।

7. अपीलांटा ने निर्णय व डिकी दिनांक 06.08.2007 के विरूद्ध अपील दिनांक 08.02.2023 को प्रस्तुत की है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में यह कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी रेस्पोडेंट द्वारा बताने पर हुई, परन्तु अपने प्रार्थना पत्र में यह कोई कथन नहीं किया है कि किस रेस्पोडेंट द्वारा एवं कब जानकारी हुई। रेस्पोडेंट सं. 1 ने प्रार्थना पत्र का जवाब व प्रतिउतर में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जवाब में अपीलांट के प्रार्थना पत्र का पूर्णतया खण्डन किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत RBJ 2020 पृष्ठ 221 में यह निर्धारण किया है कि देरी माफ करने का प्रार्थना पत्र में उचित कारण न हो तो देरी माफ नहीं की जा सकती। न्यायिक दृष्टांत DNJ 2013 पृ. 829 (SC) व RRD 2019 पृ. 20, RRT 2014 (I) पृ. 154 में माननीय न्यायालय ने यह निर्धारण किया है कि परीसीमा के कानून को कठोरता से लागू करना चाहिये व साम्य आधारों पर परीसीमा काल का निस्तारण नहीं किया जा सकता व न्यायालय को परीसीमा काल अवधि बढ़ाने का अधिकार नहीं है। इस अपील में अपीलांटा द्वारा जानकारी के संबंध में कोई उचित कारण अंकित नहीं किया है। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के द्वारा रेस्पोडेंट सं. 1 ता 3 को वादग्रस्त भूमि का

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

खातेदार घोषित किया गया है एवं रेस्पाडेंट सं. 2 हसंराज एवं रेस्पोडेंट सं. 3 शीशपाल पुत्र रूघाराम ने अपील स्वीकार करने में अपनी सहमति प्रदान की है, इससे यह तथ्य भी साबित होता है कि अपीलांटा व रेस्पोडेंट सं. 2 व 3 के मध्य दूरभिसंधि है एवं अपीलांटा न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आई है। इसलिये अपीलांटा द्वारा प्रस्तुत अपील पूर्णतया मियाद बाहर होने के कारण मियाद के बिन्दू पर ही खारिज योग्य बनती है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटा मियाद बाहर होने के कारण खारिज की जाती है व विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.08.2007 यथावत रखी जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय व डिक्री की प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.07.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

26/7/23

(करतार सिंह पूनियॉ) आर.ए.एस.

राजस्व अपील प्राधिकारी

हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियाँ आर०ए०एस०

अपील संख्या 38 / 2023

1. चन्द्र मुखी पुत्री रूघाराम पत्नी लालचंद जाति जाट निवासी कनवानी हाल निवासी बिल्यू बास रामपुरा तहसील सरदारशहर जिला चुरू–राजस्थान
2. विधा पुत्री रूघाराम पत्नी रमेश जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर हाल निवासी बिल्यू बास रामपुरा तहसील सरदारशहर जिला चुरू–राजस्थाान

–अपीलांट

बनाम

1. कालूराम पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
2. हसंराज पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
3. शिशपाल पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
4. गोमती पत्नी रूघाराम जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
5. चुनादेवी पुत्री रूघाराम पत्नी दयाराम जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर हाल निवासी चान्देड़ी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
6. पानी देवी पुत्री रूघाराम पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर हाल निवासी चोलखी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
7. चीका पुत्री रूघाराम पत्नी जैसराज जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर हाल निवासी बिल्यू बास रामपुरा तहसील सरदारशहर जिला चुरू–राज.
8. हेमा पुत्री रूघाराम पत्नी महावीर जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर हाल निवासी बिल्यू बास रामपुरा तहसील सरदारशहर जिला चुरू
9. निराणी पुत्री रूघाराम पत्नी मूलाराम जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतर हाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
10. विनोद पुत्र स्व. बादू पुत्री रूघाराम पत्नी भागीरथ जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर हाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
11. शारदा पुत्री स्व. बादू पुत्री रूघाराम जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर निवासी चान्देड़ी छोटी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़

Lamo

12. धापा पुत्री स्व. बादू पुत्री रूघाराम जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर हाल निवासी चान्देडी छोटी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
13. काली देवी पुत्री स्व. बादू पुत्री रूघाराम जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
14. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, रावतसर जिला हनुमानगढ़

—रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.08.2007
द्वारा उपखण्ड अधिकारी रावतसर प्र0 सं0 79 / 2007
अनवान हंसराज बनाम रूघाराम आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री विजय सिंह कड़वासरा अभिभाषक अपीलांट, श्री राजपाल झोरड़ अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 1, श्री मदनलाल शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 2, 3, 9 व 10, श्री राजेश कौशिक राजकीय अभिभाषक की बहस समायत की जाकर अपील अपीलांटा मियाद बाहर होने के कारण खारिज की जाती है व विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.08.2007 यथावत रखी जाती है।

आज दिनांक 26.07.23 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी की गई।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

26/7/23
(करतार सिंह पूनियाँ) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ